छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 20–17/2016/11/6 नया रायपुर, दिनांक08 सितम्बर, 2016

प्रति,

1. **अपर मुख्य सचिव,/प्रमुख सचिव/सचिव**
वित्त विभाग/विधि एवं विधायी कार्य विभाग/
वाणिज्यिक कैर विभाग/ऊर्जा विभाग/
जल संसाधन विभाग/खनिज साधन विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/ आवास एवं पर्यावरण विभाग

2. **क्षेत्रीय निदेशक**, भारतीय रिजर्व बैंक, रायपुर

3. **उप महाप्रबंधक**, भारतीय स्टेट बैंक, जोनल कार्यालय, रायपुर

विषयः– छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नियम 2016 बाबत्।

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नियम 2016 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित की जा रही है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(व्ही.के.छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ 20–17/2016/11/6 नया रायपुर, दिनांक08सितम्बर, 2016

प्रतिलिपिः–

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय।
2. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ0ग0 उद्योग भवन, रायपुर
3 कलेक्टर जिला .....(छ0ग0)
4. उपायुक्त, वाणिज्यिक कर जिला .....(छ0ग0)
5. संयुक्त संचालक, ग्रामीण व नगर निवेश विभाग जिला .....(छ0ग0)
6. कार्यपालक अभियंता, छ0ग0 राज्य विद्युत वितरण कंपनी जिला .....(छ0ग0)
7. अग्रणी बैंक अधिकारी, जिला .....(छ0ग0)
8 सहायक आयुक्त, श्रम विभाग जिला .....(छ0ग0)
9 जिला खनिज अधिकारी , जिला .....(छ0ग0)
10 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग कार्यपालन यंत्री,
11 मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार उद्योग केन्द्र, जिला .....(छ0ग0)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12 उप संचालक, प्रिंटिंग, शासकीय प्रिंटिंग प्रेस, राजनांदगांव – कृपया संलग्न नियम राजपत्र छत्तीसगढ़ में प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर दिनांक 08 सितम्बर, 2016

क्रमांक एफ 20–17/2016/ग्यारह/छैः :– छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन एतद् द्वारा **छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नियम 2016 दिनांक** 24 जून 2016 से निम्नानुसार लागू करता है :–

1 प्रस्तावना

स्वस्थ्य औद्योगिक वातावरण लिए यह भी आवश्यक है कि नए उद्योगो की स्थापना के साथ–साथ बंद/बीमार उद्योगो को पुनः प्रारंभ करवाया जावें/बीमार अवस्था से बाहर लाया जावें, ताकि रोजगार के अवसरो में बढ़ोतरी के साथ–साथ राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों में भी वृद्धि हों। बंद उद्योगों को पुनः प्रारंभ करने /बीमार अवस्था से बाहर लाने हेतु वित्तीय संस्थाओं/बैंको द्वारा संबंधित उद्योगों में अतिरिक्त वित्तीय निवेश के साथ–साथ राज्य शासन के औद्योगिक प्रोत्साहन की भी आवश्यकता होती है।

2 उद्देश्य

1. बंद/बीमार पड़े उद्योगों को पुर्नसंचालित/पुर्नवासित कराना, ताकि बंद/बीमार पड़े उद्योगों में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात्/क्षमता के अनुरूप उत्पादन होने के पश्चात रोजगार के नये अवसर सृजित हो/रोजगार के अवसरो में वृद्धि हो।
2. बंद पड़े उद्योगों में अवरूद्ध भूमि का औद्योगिक उपयोग प्रारंभ कराना।
3. पुनर्वास योग्य बीमार एवं बंद पड़े उद्योगो को पुनर्संचालित/पुनर्वासित कराने में उद्यमियों को/वित्तीय संस्थाओं /बैंको को सहयोग प्रदान करना।
4. पुनर्वास योग्य बीमार/बंद उद्योगों की अवरूद्ध पूंजी को गतिशील बनाना ताकि परिणाम स्वरूप उद्योग प्रारंभ होने के पश्चात् राज्य शासन के राजस्व जैसेः– वेटकर, प्रवेश कर, एक्साइज ड्यूटी, मंडी शुल्क, विद्युत चार्जेस, विद्युत शुल्क, रॉयल्टी, जल चार्जेस एवं उपकरों में वृद्धि हो।
5. बीमार/बंद पड़े उद्योगो के संभावित क्रेताओ को प्रोत्साहित कर बंद/बीमार उद्योगों के क्रय एवं पुनर्संचालन हेतु प्रोत्साहित करना।
6. समय पर एवं उपयुक्त सहायता देकर उद्योगों को बीमार होने से बचाना।
7. वित्तीय संस्थाओं/बैंको में बंधक बंद/बीमार उद्योगों की परिसम्पतियां जिसमें राज्य शासन की भूमि भी सम्मिलित है, का औद्योगिक उपयोग संभव करना।
8. औद्योगिक क्षेत्रो में भूमि की बढ़ती हुई मांग व सीमित आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए बंद उद्योगो की भूमि का उपयोग औद्योगिक प्रयोजनो हेतु करना।

9. भारत सरकार द्वारा पुनर्वास योग्य बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनःस्थापन एवं गैर पुनर्वास योग्य बीमार इकाईयों के समापन हेतु "सिक इण्डस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन्स् एक्ट 1985" के अंतर्गत ''बी.आई.एफ.आर.'' नामक वैधानिक संस्था स्थापित है, किन्तु सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र इनकी परिधि में नहीं आता है, अतः सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बीमार होने से बचाना तथा बंद सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को पुनः प्रारंभ करने के लिये व्यवस्था निर्मित करना ।

3 शीर्षक

यह नियम "छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नियम, 2016" कहा जाएगा।

4 क्रियान्वयन अवधि

यह नियम **"छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2016"** के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक 24 जून 2016 से 31 अक्टूबर 2019 तक की कालावधि के लिए प्रभावशील होगा।

5 परिभाषाएं

इस नियम के क्रियान्वयन हेतु **"छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2016"** में वर्णित परिभाषाएं लागू होगी ।

6 मान्य गतिविधियॉं

इस नियम के अंतर्गत निम्नांकित गतिविधियां पात्र होगी :–

(1) औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) में संदर्भित बीमार/बंद उद्योगों का क्रय।

(2) शासकीय परिसमापक (Official liquidator) के माध्यम से बंद उद्योगों का क्रय।

(3) सिक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्सियल असेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत किसी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अधिग्रहित उद्योगों का क्रय ।

(4) राज्य शासन के उपक्रमों द्वारा अधिग्रहित उद्योगो का क्रय।

(5) निजी निवेशकों द्वारा किसी बंद/बीमार पड़े उद्योगों का क्रय ।

(6) उद्योग स्वामी द्वारा अपने बंद/बीमार उद्योग के पुनर्वास/पुनर्जीवन ।

(7) उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम पांच लाख रूपये का पूंजी निवेश हो।

7 पात्र आवेदनकर्ता

इस नियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति/साझेदारी फर्म/कंपनी/सहकारी समिति/सीमित दायित्व साझेदारी/औद्योगिक इकाई उपरोक्त बिन्दु–6 अनुसार मान्य गतिविधियों के बंद/बीमार इकाईयों को पुनः प्रारंभ करने/पुनर्संचालन करने इस नीति का लाभ लेने के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है।

8 अपात्र उद्योग

इस नियम के अंतर्गत निम्नांकित आवेदको/उद्योगों को अपात्र माना जावेगा :–

(1) भारत सरकार/राज्य शासन/ राज्य शासन की किसी एजेंसी द्वारा किसी क्षेत्र विशेष हेतु निषेधित उद्योग।
(2) भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा घोषित निषेधित उद्योग ।
(3) भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा काली सूची में डाले गये उद्योग।
(4) भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा स्थापित उपक्रम।
(5) पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग।
(6) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस।
(7) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग।
(8) स्टोन क्रेशर।
(9) लेदर टैनरी।
(10) स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना)।
(11) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)।
(12) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग/ग्राईडिंग/पलवराइजिंग।
(13) अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निषेधित घोषित किये जाएं।

9 प्रक्रिया

(1) इस नीति के अन्तर्गत उपरोक्त सरल क्र. 6 अनुसार मान्य गतिविधियो में पात्र आवेदनकर्ता द्वारा किसी भी बंद उद्योग/बीमार उद्योग को पुनर्संचालित करने/पुनर्वास हेतु परिशिष्ट एक पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। पूर्णरूपेण आवेदन प्राप्त होने पर परिशिष्ट–2 अनुसार अभिस्वीकृति जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा दी जायेगी।

(2) आवेदन के साथ–साथ बंद/बीमार उद्योग को पुनर्संचालन/पुनर्वास हेतु विस्तृत योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उद्योग के बीमार/ बंद रहने की तथ्यात्मक स्थिति, उद्योग के बीमार/बंद होने के कारण, पुनर्संचालन हेतु किये जा रहे प्रयास, बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति, स्वयं का अंशदान, विगत वित्तीय वर्षो की अंकेक्षित बैलेंस शीट, बी.आई.एफ.आर. /शासकीय समापक की टीप एवं उद्योग को पुनर्संचालित करने/पुनः प्रारंभ करने की अवधि भी होगी।

(3) आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनर्वास योजना का अनुमोदन अप्रैजल एजेंसी से करवाना होगा । अप्रैजल एजेन्सी अपने प्रतिवेदन में उद्योग के बंद/बीमार होने के कारणों की व्याख्या करते हुए अपने सुझाव देगी व अभिमत में यह स्पष्ट अनुशंसा करेगी कि उद्योग बीमार/बंद उद्योग की परिभाषा के तहत् आता है अथवा नहीं, इकाई व्यवहार्य बीमार इकाई है या नहीं तथा बीमार/बंद उद्योग का पुनर्संचालन/पुनर्वास संभव है अथवा नहीं। एजेंसी अपने सुझाव भी दे सकेगी।

(4) बीमार/बंद सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के पुनर्वास तथा पुनर्संचालन हेतु प्राप्त आवेदनों एवं आवेदनों की प्रस्तावित योजना, अप्रैजल एजेंसी की रिपोर्ट का परीक्षण मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किया जावेगा तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न आवेदनों का एवं आवेदनों की प्रस्तावित योजना व अप्रैजल एजेंसी की रिपोर्ट परीक्षण उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा किया जावेगा।

(5) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार परिभाषित बन्द उद्योग के तहत् बीआईएफआर के समस्त प्रकरण जिनमें पुनर्वास योजना स्वीकृत की जा चुकी हो/तैयार की जा चुकी हो, शासकीय समापक के माध्यम से उद्योगों का क्रय, सिक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन आफ फायनेंसियल असेट्स एण्ड इन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 के तहत् किसी वित्तीय संस्था/ बैंक/ वित्तीय संस्थाओं/बैंक द्वारा अधिकृत एजेन्सी से बंद उद्योग क्रय करने वाले उद्यमी, राज्य शासन के उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा अधिग्रहण उपरांत उद्योगों का क्रय करने वाले उद्यमी भी सम्मिलित मान्य किये जावेंगे अर्थात् ऐसे प्रकरणों में "बंद उद्योग" की मान्यता/ पहचान हेतु बिन्दु क्रमांक 9.6 में वर्णित समिति में विचार की आवश्यकता नहीं होगी एवं उन्हें बंद उद्योग मान्य किया जावेगा किन्तु इन बन्द उद्योगो को इस नियम के अंतर्गत देय पैकेज की पात्रता के लिए यह आवश्यक होगा कि उनके प्रकरणो में उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 9.1 से 9.4 तक की प्रक्रियाएं पूर्ण की जाए तथा पात्र प्रकरणों में बीमार/बंद उद्योग के पुनर्वास/पुनर्संचालन संभव पाए जाने पर उसका पंजीयन किया जावेगा । सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में संचालक/आयुक्त उद्योग द्वारा संबंधित उद्योग को बीमार/बंद घोषित किये जाने बाबत् आदेश परिशिष्ट–3 अनुसार जारी किये जायेगें।

(6) बीमार/बंद उद्योगों के पुनर्वास/ पुनर्संचालन हेतु प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त निम्नानुसार समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा :–

अ– जिला स्तरीय समिति (सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु) –

(1)	संबंधित जिले के कलेक्टर	**अध्यक्ष**
(2)	आयुक्त/संचालक उद्योग के प्रतिनिधि जो संयुक्त संचालक स्तर से कम न हो	**उपाध्यक्ष**
(3)	संचालक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान अथवा उनके प्रतिनिधि	**सदस्य**
(4)	सहायक आयुक्त श्रम विभाग	**सदस्य**
(5)	अग्रणी बैंक के अधिकारी	**सदस्य**
(6)	उद्योग की वित्त पोषित संस्था/ बैंक के शाखा प्रबंधक	**सदस्य**
(7)	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग	**सदस्य**
(8)	कार्यपालक अभियंता, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण	**सदस्य**

	कम्पनी	
(9)	संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग	**सदस्य**
(10)	खनिज अधिकारी	**सदस्य**
(11)	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग	**सदस्य**
(12)	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	**सदस्य सचिव**

ब– राज्य स्तरीय समिति (सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न उद्योग–मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हेतु) –

(1)	मुख्य सचिव	**अध्यक्ष**
(2)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त	**उपाध्यक्ष**
(3)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	**सदस्य**
(4)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, विधि एवं विधायी कार्य	**सदस्य**
(5)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	**सदस्य**
(6)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उर्जा विभाग	**सदस्य**
(7)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग	**सदस्य**
(8)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खनिज संसाधन विभाग	**सदस्य**
(9)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	**सदस्य**
(10)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग	**सदस्य**
(11)	रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख	**सदस्य**
(12)	उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक जोनल कार्यालय	**सदस्य**
(13)	उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, रायपुर	**सदस्य सचिव**

(7) जिला स्तरीय समिति सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में एवं राज्य स्तरीय समिति सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न उद्योगो के प्रकरणों में बंद/बीमार उद्योगों के संबंध में निर्णय लेगी।

उक्त समितियां यह निश्चित करेगी कि आवेदक उद्योग बीमार/बंद की श्रेणी में आता है अथवा नहीं तथा इसके पुनर्वास/पुनर्संचालन की क्या संभावना है। समितियां सबंधित उद्योग से/आवेदक से योजना का प्रस्तुतिकरण भी प्राप्त कर सकेगी, आवश्यक होने पर उद्योग विशेष से

संबंधित तकनीकी कंसल्टेंट/सलाहकार, अप्रैजल एजेंसी से परामर्श भी प्राप्त कर सकेगी। समितियां किसी विशेषज्ञ को भी आमंत्रित कर सकेगी।

जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति का कोरम 50 प्रतिशत होगा, समितियों की बैठक तीन माह में एक बार अवश्य होगी।

जिला एवं राज्य स्तरीय समितियों द्वारा यदि यह निर्णय लिया जाता है कि बीमार/बंद उद्योग के पुनर्वास/पुनर्संचालन संभव है, तो उसका पंजीयन किया जावेगा एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में संचालक/आयुक्त उद्योग द्वारा संबंधित उद्योग को बीमार/बंद घोषित किये जाने बाबत् आदेश परिशिष्ट–3 अनुसार जारी किये जायेगें।

10 बीमार/बंद उद्योगों के लिए पैकेज

10.1 बीमार उद्योगों के पुनर्वास हेतु पैकेज :–

(1) किसी भी बीमार घोषित उद्योग का क्रय करने पर निम्नांकित छूट दी जावेगी :–

(i) स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट

(ii) पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट

(iii) औद्योगिक क्षेत्रो/लैण्ड बैंक में उद्योग स्थापित होने की दशा में वर्तमान में प्रचलित भू–प्रब्याजि का 15 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से भू–हस्तांतरण शुल्क लिया जावेगा ।

(2) औद्योगिक नीति 2014–19 के औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहनों की पात्रता को आधार मानकर बीमार उद्योग के स्वामी को या बीमार उद्योग के क्रेता को (यथा स्थिति जो लागू हो) निम्नानुसार पूर्णतः/शेष बची अनुदान, छूट एवं रियायत दी जावेगी, जिसका उपयोग बीमार उद्योग ने अपने उद्योग के संचालित रहने की अवधि में नही किया हो/आंशिक किया हो :–

2.1 ब्याज अनुदान

2.2 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान

2.3 परियोजना प्रतिवेदन अनुदान

2.4 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान

2.5 तकनीकी पेटेन्ट अनुदान

2.6 प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान

2.7 निःशक्त अनुदान

2.8 विद्युत शुल्क से छूट

2.9 प्रवेशकर भुगतान से छूट

2.10 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अंतर्गत मंडी शुल्क छूट

उदाहरणार्थ :–

(अ) यदि किसी उद्योग ने औद्योगिक नीति 2004–09 के अंतर्गत एक सामान्य उद्योग 01 नवम्बर 2005 को स्थापित किया है व दो वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित 40 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान प्राप्त किया है व औद्योगिक नीति 2014–19 की अवधि में बीमार उद्योग घोषित होता है, तो शेष तीन वर्ष की अवधि हेतु ब्याज अनुदान की पात्रता औद्योगिक नीति 2014–19 के अधीन निर्धारित दर पर व अधिकतम सीमा के अधीन होगी।

(ब) यदि कोई उद्योग औद्योगिक नीति 2004–09 के अधीन अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु अपात्र उद्योगो की श्रेणी में था एवं औद्योगिक नीति 2014–19 में पात्र है, तो पुनः उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2014–19 की शेष अवधि (उद्योग के प्रारंभ होने से बीमार घोषित होने तक की अवधि को पात्रता अवधि से कम करने के पश्चात् बची शेष अवधि) हेतु ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।

(स) उद्योग स्थापना के पश्चात् दिये जाने वाले अन्य अनुदान (जैसेः– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, निःशक्त अनुदान) यदि प्राप्त नही हुए हैं/आंशिक प्राप्त हुए हैं तो बीमार उद्योग के क्रेता को पूर्ण/शेष बची राशि की पात्रता होगी।

(द) उपरोक्तानुसार स्थिति उद्योग स्थापना के पश्चात् दिये जाने वाले छूट के प्रकरणों (विद्युत शुल्क से छूट, प्रवेशकर से छूट, मंडी शुल्क से छूट) में भी लागू होगी।

(3) बीमार घोषित उद्योग की भुगतान हेतु बकाया राशि को भुगतान करने हेतु 36 समान मासिक किश्तो/12 त्रैमासिक किश्तो में मूल राशि + संपूर्ण पेनाल्टी/ब्याज /अधिभार सहित भुगतान की सुविधा दी जावेगी, इस निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित बेस रेट पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

परन्तु, यह प्रावधान इस हेतु संबंधित विभागों के नियमों/अधिनियमों में संशोधन उपरांत अधिसूचना जारी होने पर पश्चातवर्ती प्रभाव से ही लागू होगा।

तथापि विद्युत देयकों के मामले में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित बेस रेट पर ब्याज का भुगतान के स्थान पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित सप्लाई कोड में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार अधिभार देय होगा।

(4) बीमार उद्योग के क्रेता के पक्ष में विद्युत कनेक्शन, जल कनेक्शन, कन्सेंट टू ऑपरेट, राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले फारेस्ट क्लीयरेंस, स्थानीय निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि हस्तांतरित हो जावेंगे।

परन्तु इसके लिए संबंधित विभागों के नियमों/अधिनियमों में वर्णित प्रकिया के अनुसार कार्यवाही करना होगी।

टीपः–

(1) उपरोक्त पैकेज के लिए आवश्यक है कि सक्षम समिति को बीमार उद्योग घोषित करने हेतु आवेदन की तिथि को आवेदक के उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम 5.00 लाख रू. का पूंजी निवेश हो व फैक्टरी परिसर में मशीनरी स्थापित भी हो।

(2) किसी इकाई को बीमार उद्योगों के पुनर्वास का पैकेज केवल एक बार दिया जावेगा।

10.2 बंद उद्योगों के पुनः संचालन हेतु पैकेज :–

(1) किसी भी बंद घोषित उद्योग का क्रय करने पर निम्नांकित छूट दी जावेगी :–

(i) स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट

(ii) पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट

(iii) औद्योगिक क्षेत्रो/लैण्ड बैंक में उद्योग स्थापित होने की दशा में वर्तमान में प्रचलित भू–प्रब्याजि का 15 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से भू–हस्तांतरण शुल्क लिया जावेगा ।

(2) औद्योगिक नीति 2014–19 के औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहनों की पात्रता को आधार मानकर बंद उद्योग के स्वामी या क्रेता को (यथा स्थिति जो लागू हो) निम्नानुसार पूर्णतः/शेष बची अनुदान, छूट एवं रियायत दी जावेगी, जिसका उपयोग बंद उद्योग ने अपने उद्योग के संचालित रहने की अवधि में नही किया हो/आंशिक किया हो :–

2.1 ब्याज अनुदान

2.2 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान

2.3 परियोजना प्रतिवेदन अनुदान

2.4 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान

2.5 तकनीकी पेटेन्ट अनुदान

2.6 प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान

2.7 निःशक्त अनुदान

2.8 विद्युत शुल्क से छूट

2.9 प्रवेशकर भुगतान से छूट

2.10 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अंतर्गत मंडी शुल्क छूट

उदाहरणार्थ :–

(अ) यदि किसी उद्योग ने औद्योगिक नीति 2004–09 के अंतर्गत एक सामान्य उद्योग 01 नवम्बर 2005 को स्थापित किया है व दो वर्ष की अवधि हेतु

निर्धारित 40 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान प्राप्त किया है व औद्योगिक नीति 2014–19 की अवधि में बंद उद्योग घोषित होता है, तो शेष तीन वर्ष की अवधि हेतु ब्याज अनुदान की पात्रता औद्योगिक नीति 2014–19 के अधीन निर्धारित दर पर व अधिकतम सीमा के अधीन होगी।

(ब) यदि कोई उद्योग औद्योगिक नीति 2004–09 के अधीन अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु अपात्र उद्योगो की श्रेणी में था एवं औद्योगिक नीति 2014–19 में पात्र है, तो पुनः उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2014–19 की शेष अवधि (उद्योग के प्रारंभ होने से बंद घोषित होने तक की अवधि को पात्रता अवधि से कम करने के पश्चात् बची शेष अवधि) हेतु ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।

(स) उद्योग स्थापना के पश्चात् दिये जाने वाले अन्य अनुदान (जैसेः– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, निःशक्त अनुदान) यदि प्राप्त नही हुए हैं/आंशिक प्राप्त हुए हैं तो बंद उद्योग के क्रेता को पूर्ण/शेष बची राशि की पात्रता होगी।

(द) उपरोक्तानुसार स्थिति उद्योग स्थापना के पश्चात् दिये जाने वाले छूट के प्रकरणों (विद्युत शुल्क से छूट, प्रवेशकर से छूट, मंडी शुल्क से छूट) में भी लागू होगी।

(3) किसी भी उद्योग को बंद घोषित करने के दिनांक तक भुगतान हेतु बकाया राशि की परिभाषा के अंतर्गत निहित विभागों/निकायो (ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग, खनिज संसाधन विभाग, स्थानीय प्रशासन विभाग एवं श्रम कानूनो के अंतर्गत गठित राज्य शासन के निकाय) को देय राशियों का भुगतान तीन माह की अवधि के भीतर एकमुश्त करने पर संपूर्ण पेनाल्टी /ब्याज/अधिभार पूर्णतः माफ किया जावेगा।

परन्तु यह प्रावधान संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार जारी अधिसूचना की तिथि से पश्चातवर्ती प्रभाव से ही लागू होगा।

(4) उपरोक्त (3) के तहत् यदि एकमुश्त राशि का भुगतान नही किया जाता है तो 36 समान मासिक किश्तो/12 त्रैमासिक किश्तो में मूल राशि + संपूर्ण पेनाल्टी/ब्याज /अधिभार सहित भुगतान की सुविधा दी जावेगी, इस निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित बेस रेट पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

परन्तु, यह प्रावधान इस हेतु संबंधित विभागों के नियमों/अधिनियमों में संशोधन उपरांत अधिसूचना जारी होने पर पश्चातवर्ती प्रभाव से ही लागू होगा।

तथापि विद्युत देयकों के मामले में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित बेस रेट पर ब्याज का भुगतान के स्थान पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित सप्लाई कोड में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार अधिभार देय होगा।

(5) बंद उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम 3.00 करोड़ रू0 या उत्पादनरत विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में मान्य निवेशित पूंजी के न्युनतम 25 %, जो भी अधिक हो, का अतिरिक्त पूंजी निवेश करने पर, तथा उद्योग विभाग में पंजीकृत मूल क्षमता या औसत उत्पादन, जो भी अधिक हो, में न्यूनतम 25% की वृद्धि होती हो एवं कुल रोज़गार में भी 10 :, की वृद्धि हो तथा विस्तारित वाणिज्यिक उत्पादन इस नीति की कालावधि में प्रारंभ हो, तो किये गये अतिरिक्त पूंजी निवेश पर औद्योगिक नीति 2014–19 में घोषित अनुदान, छूट एवं रियायतें प्राप्त होगी (विस्तार/डायवर्सीफिकेशन आदि पर) किन्तु इसकी अधिकतम सीमा बंद उद्योग को देय शेष अनुदान एवं इस अतिरिक्त पूंजी निवेश पर देय अनुदान की अधिकतम सीमा औद्योगिक नीति 2014–19 में घोषित अनुदान की सीमा से अधिक नहीं होगी।

(6) नये उद्योग को **जल उपलब्धता की स्थिति में** पुनः जल स्वीकृति देते समय कोई अतिरिक्त चार्जेस/सुरक्षा निधि नहीं ली जावेगी।

(7) बंद उद्योग के क्रेता के पक्ष में विद्युत कनेक्शन, जल कनेक्शन, कन्सेंट टू ऑपरेट, राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले फारेस्ट क्लीयरेंस, स्थानीय निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि हस्तांतरित हो जावेंगे।

परन्तु यह प्रावधान संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार जारी अधिसूचना की तिथि से पश्चातवर्ती प्रभाव से ही लागू होगा।

टीपः–

(1) उपरोक्त पैकेज के लिए आवश्यक है कि उद्योग को बंद उद्योग घोषित करने हेतु आवेदन की तिथि को आवेदक के उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम 5.00 लाख रू. का पूंजी निवेश हो व फैक्टरी परिसर में मशीनरी स्थापित भी हो।

(2) किसी इकाई को बंद उद्योगों के पुनः संचालन हेतु पैकेज केवल एक बार दिया जावेगा।

11 वित्त पोषण

भारतीय़ रिजर्व बैंक द्वारा बीमार/बंद लघु औद्योगिक इकाईयों के पुनर्स्थापन/पुनर्वास के संबंध में बैंको/वित्तीय संस्थाओ के माध्यम से समय–समय पर उपलब्ध कराई जाने वाले वित्त पोषण/सुविधाओं को पुनर्वास योग्य लघु औद्योगिक इकाईयों को दिलाने हेतु सहयोग किया जावेगा।

12– पैकेज की वसूली–

1 पैकेज का लाभ औद्योगिक इकाई को स्वीकृत/प्राप्त हो जाने के पश्चात भी यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई /बैंक /वित्तीय संस्था द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से पैकेज प्राप्त किया गया है तो पैकेज का संपूर्ण

लाभ मय 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वसूल किया जा सकेगा ।

2 उपरोक्तानुसार वसूली राशि भू–राजस्व के बकाया की वसूली के सामान की जा सकेगी ।

3 स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि पैकेज का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भी नियमानुसार नहीं पाये जाने पर स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं यदि पैकेज की राशि संबंधित वित्तीय संस्था / बैंक को भुगतान कर दी गई हो तो वसूली आदेश जारी कर सकें।

4 यह आवश्यक है कि संबंधित उद्योग में स्वीकृत पैकेज की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/ प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम 33 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया गया हो । औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में स्वत्वों की अवधि के दौरान रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्तानुसार उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो ऐसी अवधि में पैकेज की पात्रता नहीं रहेगी ।

5 उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा योजना से संबंधित या कोई जानकारी/अभिलेख मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये ।

6 यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक पैकेज की प्राप्ति हो गयी हो।

7 उपर्युक्त बिन्दुओं के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये पैकेज की राशि की वसूली के आदेश स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किये जाऐंगे ।

13 अपील /वाद –

1 उक्त कंडिका 9.5 के अनुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये बिना मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध 60 दिवस में प्रथम अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी । उद्योग आयुक्त/संचालक के आदेश के विरूद्ध 60 दिवस में प्रथम अपील सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी ।

2 उक्त कंडिका 13.1 अनुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील अर्थात् द्वितीय अपील (मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित मूल आदेशों के संबंध में) सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी तथा उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग के मूल आदेशों के विरूद्ध 30 दिवस में द्वितीय अपील सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी ।

3 उक्त कंडिका 9.6 के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध राज्य स्तरीय समिति को 60 दिवस में अपील की जा सकेगी।

3 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 5000 एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में रूपये 10000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी । अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा । अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा ।

4 अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा ।

5 अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा । अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

14 पैकेज प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :–

1 बंद/बीमार घोषित उद्योग का दायित्व होगा कि पैकेज की प्राप्ति उपरांत 05 वर्ष की अवधि तक चार्टर्ड एकाउटेन्ट से अंकेक्षित लेखे व बैलेंस शीट उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को उपलब्ध कराएं। बंद/बीमार उद्योग को प्रतिवर्ष उत्पादन, लाभ, राज्य शासन को देय करो का भुगतान, व रोजगार से संबंधित जानकारी भी प्रदान करनी होगी।

2 बंद/बीमार घोषित पैकेज अवधि के दौरान संबंधित उद्योग द्वारा न तो लाभांश की घोषणा की जावेगी तथा न ही लाभांश का भुगतान किया जावेगा।

3 बंद/बीमार उद्योग द्वारा राज्य शासन की स्थानीय रोजगार देने की नीति (राज्य के स्थानीय निवासियों को अकुशल श्रेणी में 90 प्रतिशत, कुशल श्रेणी में 50 प्रतिशत, व प्रबंधकीय श्रेणी में 33 प्रतिशत रोजगार प्रदान करने की शर्त) का पालन करना होगा।

4 बंद/बीमार उद्योग का संचालन प्रभावी ढ़ंग से करना होगा।

5 बंद/बीमार उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त प्रदूषण निवारण यंत्रो की स्थापना करनी होगी, इनका सतत् संचालन करना होगा तथा प्रदूषण निवारण के निर्धारित मापदण्डो का पालन करना होगा।

6 औद्योगिक इकाई को पैकेज की पात्रता अवधि में तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पश्चात समाप्त होने के न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा ।

7 पैकेज की पात्रता अवधि तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पांच वर्ष तक उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग की लिखित पूर्वानुमति के बिना

इकाई के फैक्ट्री स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, फैक्ट्री का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा फैक्ट्री के अधोसंरचना तथा स्थायी परिसम्पतियों में कोई परिर्वतन नहीं किया जावेगा । उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग को प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर इन बिन्दुओं पर निर्णय लेने का अधिकार होगा ।

15 स्वप्रेरणा से निर्णय :–

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार समझें परन्तु पैकेज को निरस्त करने, या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा । स्वयं के निर्णय की समीक्षा भी राज्य शासन, प्रमुख सचिव/ सचिव, उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग कर सकेंगे।

16 इस योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/उद्योग संचालक सक्षम होंगे एवं पैकेज से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा ।

17 नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

18 इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

19 योजना का क्रियान्वयन

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.के.छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

परिशिष्ट 1

Application Format for Registration as Sick/Closed Unit

(छत्तीसगढ़ बंद / बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नियम, 2016 का बिन्दु क्रमांक 9.1)

1	(i)	Name of the unit	
	(ii)	Address of the factory	
	(iii)	Address for the Correspondence	
	(iv)	Name of the promoter/Chief Executive	
		Address	
		Phone No.	(O) (R) (M)
		Fax No.	
		Email	
		Aadhar No. of Promoter/Chief Executive	
		PAN No./TAN No./CIN No. of Unit	
	(v)	If unit is purchased , pl give details and attach relevant documents	
2	(i)	Date of establishment(Relevant Certificate to be attached)	
	(ii)	EM No./Udyog Adhar No./Udyam Akansha No./Industrial License No. (As applicable , Certificate to be attached)	
	(iii)	Date of commercial production(Certificate/s to be attached)	
	(iv)	Whether unit is in production at present or not ?	Yes/No
3	If case pertains to BIFR/SURFACI , pl mention details .		
4	Name of Partners / Directors:		
	(i)		
	(ii)		
	(iii)		
	(iv)		
5	Products manufactured and its annual capacity (Pl. mention - no. of shifts)		
	(i)		
	(ii)		
	(iii)		
	(iv)		
6	Do you fulfill conditions of sick/ closed unit as unit as defined in policy/notification . (Please submit C.A. certificate in support of claim for sick/closed unit .)		
	(a)	Whether the maximum borrowing loan account of the unit become NPA for more than six months (Give details along with all borrowing accounts with date/amount of NPA)	Yes/No
	(b)	Whether the erosion in the net worth due to accumulated cash losses to the extent of 50 percent of net worth during the previous accounting year has been recorded.	Yes/No Give details
	(c)	Whether the unit was in production for minimum two year? If yes, please indicate years during which production	

		continued			
	(d)	If unit is closed , whether unit is closed continuously, since last 18 months /Power supply disconnected/Central Excise Tax is NIL (attach relevant documents)			
	(e)	Submit two years audited balance sheets along with details of power consumption (month wise) of the unit during which remained in production.			
7	Balance Sheet : As on .....(to be certified by Statutory Auditors of Company)				
	Sources of Funds :				
	(i)	Paid-up capital			
	(ii)	Reserve & Surplus			
	(iii)	Term Loan			
	(iv)	Deposits			
	(v)	Any other loan / unsecured loan / secured loan			
	Total				
	Application of funds :				
	(i)	Net Block			
	(ii)	Capital work in progress			
	(iii)	Current assets:			
		(a)	Inventories		
		(b)	Sundry debtors		
		(c)	Other current assets		
		(d)	Loan & advance		
		Sub total (A)			
		Less			
		a)	Liabilities		
		b)	Provisions		
		Sub total (B)		(vi)	
	(iv)	Net current assets (A-B)			
	(v)	Investment if any (To be mentioned separately in- companies , fixed deposits ,others)			
	(vi)	Loss			
		Net worth (during last three financial years, year wise)		(Year) (.....) (Year) (.....) (Year) (.....)	
8	Please furnish following details certified by Statutory Auditors of Company				
				Year	Year	Year
	(i)	Paid-up capital				
	(ii)	Reserve & Surplus (excluding revaluation				

	(iii)	Total				
	(iv)	Percentage of the cumulative loss of net worth last three years.				
	Performance of unit for last three years					
	(i)	Sales	Quantity (MT /Nos.)			
			Value (Rs. Lacks)			
	(ii)	Gross Profit/Loss				
	(iii)	Net Profit/loss (after depreciation & tax)				
	(iv)	Net Profit/loss (after depreciation & tax)				
	(v)	enclose: Annual report/Audited Balance Sheets for last 3 years				
9	(i)	If unit is registered with BIFR, please indicate.				
	(ii)	Whether operating agency has been decided by Hon. BIFR, give detail.				
	(iii)	Draft rehabilitation scheme is Prepared and circulated by operating agency. If Yes, submit copy of the same.				
	(iv)	In case of Cases Techno Economic Viable Report from ..... (Name of Appraisal Agency), have been prepared? Submit the copy of the same. If applied submit copy of application and copy of money receipt. If not approached, submit your consent for the same.				
10	Whether any legal actions are initiated by Govt. Department /any creditor or applicant-promoter in Hon. Court/Tribunal/Facilitation Council if yes, pl. gives details.					
11	Details		Capacity			
	Month wise production during last one year along with copy of electricity bill					
	Whether unit holder is willing to pay the cost of study report to the Appraisal Agency					
	Promoters Share towards revival purpose should be indicated					
12	If the Unit is closed, please give the date of closure and reasons for close-down					
	(i)	Whether power is permanently disconnected (Mention date of disconnection)				
	(ii)	Whether Labours/Workers are retrenched, pl. give details				
	(iii)	Whether possession of Unit is with promoter, if not with whom it is?				
	(iv)	Details of out standing dues as on ———— (please attached C.A. certificate)				

		Sr. No	Name of Govt. Department/ Corporation/ Bank/firm	Principal Amount	Interest	Panel Interest	Penalty	Other	Total
		1	Commercial Tax						
		2	Electricity Charges						
		3	Excise Duty						
		4	PF						
		5	ESI						
		6	Others (e.g. loans, creditors, suppliers incl. other SSI units etc.)						
	(v)	Separate consent on letter head supported by board resolution for making payment of principal amount (enclosed copy)				Principle amount Rs			

13	How the unit will be revived?		
	(A)	Arrangement for required funds with detailed plan to restart or increase the production	
	(B)	Arrangement for required funds for liquidating dues under the Scheme/Other creditors	
	(C)	If it is proposed to induct new promoter(s) to revive the unit, please give profile of the new promoters (enclose: Audited Balance-Sheets for last 3 years)	
	(D)	In case of Induction of New Promoters , Pl indicate conditions for the same	
	(E)	Percentage of funds borrowed/proposed to be borrowed from market/FIs/Banks for arrangement of **capital** for purchase of unit .	Percentage of capital borrowed (pl mention in exact amount also) vis a vis own investment
	(F)	Percentage of funds borrowed/proposed to be borrowed from market/FIs/Banks for arrangement of **working capital** for operational needs of unit .	Percentage of borrowed working capital capital (pl mention in exact amount also) vis a vis own funds

14	Details of Proposed Expansion/Diversification/Modernisation as part of revival		
	S.No.	Activity	Details
	1	Whether Expansion/Diversification/Modernization	
	2	Name of Item	
	3	Project Cost	
	4	Means of Finance	
	5	Registration of Items , if any	
	6	Manufacturing Process	
	7	Detailed List of proposed machinery with value	
	8	Proposed Increase in production and profitability	
15	Pl give details of stage-wise with timelines revival plan and its details on financing, Operation and Marketing		
16	Proposed arrangements for Marketing of Product		

17	Assistance / relief proposed from banks/financial Institutions / Govt Departments/firms (Submit relevant documents)			
	S.No.	Name of Bank/financial Institution/ Govt Department/firm	Assistance/relief proposed	
	1	Bank/FI		
	2	Commercial Tax Department		
	3	Electricity Distribution Company		
	4	Labour Deptt		
	5	Others (e.g. loans, creditors, suppliers incl. other SSI units etc.)		
18	To settle the liabilities Commitment from Financial Institutions /Banks/Departments/Other sources on proposed rehabilitation plan and means for the same i.e. concession and/or additional loan for revival (to be attached)			
19	Details Land allotted to sick/closed unit by Deptt of Industries or CSIDC (if any, Pl give Details)			
20	Details of Facilities availed by sick/closed unit i.e. Subsidies/Concessions/Exemptions (if any, Pl give details)			
21	What will be positive and incremental effect on implementation of rehabilitation proposal.			
	No.	Details	At Present	After Rehabilitation(year wise breakup)
	(i)	Fixed Capitel Investment		
	(ii)	Networth		
	(iii)	Turn Over		
	(iv)	Production		
	(v)	Employment		

I hereby declare that no actions against non compliance of Rules/Acts are pending against me/firm. Further , I declare that no criminal actions are pending in any court of law against me/firm.

I hereby undertake to abide by provisions of छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नियम 2016 as amendment from time to time.

Name & Signature of the Managing Director/Authorized Signatory

(Seal of Company)

Note:

1. The Company must have been declared "Sick" by BIFR and draft scheme should have been circulated by O.A.
2. Application should be accompanied by Annual report/the Audited Balance-Sheets for the preceding three years. The Auditors remarks accompanying the accounts have to be fully dealt and complied with.
3. The sick unit should also submit Techno Economic Viable Report from the Appraisal Agency.
4. Application should be accompanied by a proposed **Rahabilitation Scheme** that envisages full repayment of loan and interest to the banks/Financial institution "as well as dues of the State Govt./sales Tax/G.E.B./Electricity Co. for which, separate sheet should be attached.
5. In case application is signed by the authorized signatory, a Board resolution from the MD of the company authorizing the person to sign the application must be enclosed with the application.

टीप– आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर उक्तानुसार हस्ताक्षर किये जावें ।

//शपथ पत्र//

यह शपथपूर्वक घोषणा की जाती है कि

1. आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी पूर्ण रूप से सही है व किन्हीं भी तथ्यों को नहीं छुपाया गया है।
2. हमारी इकाई द्वारा राज्य शासन की स्थानीय रोजगार देने की नीति (राज्य के स्थानीय निवासियों को अकुशल श्रेणी में 90 प्रतिशत, कुशल श्रेणी में 50 प्रतिशत, व प्रबंधकीय श्रेणी में 33 प्रतिशत रोजगार प्रदान करने की शर्त) का पालन किया जावेगा।
3. औद्योगिक इकाई द्वारा क्रय अभिलेखों के पंजीयन दिनांक से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में 2 वर्षों के भीतर तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न उद्योगो के प्रकरणों में 3 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया जावेगा।
4. बंद/बीमार उद्योग का संचालन प्रभावी ढ़ंग से किया जावेगा।
5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त प्रदूषण निवारण यंत्रो की स्थापना की जावेगी, इनका सतत् संचालन किया जावेगा तथा प्रदूषण निवारण के निर्धारित मापदण्डो का पालन किया जावेगा।
6. बंद/बीमार उद्योग के क्रय उपरांत बंद/बीमार घोषित अवधि तक उपक्रम द्वारा न तो लाभांश की घोषणा की जावेगी व न ही लाभांश का भुगतान किया जावेगा।
7. पैकेज की प्राप्ति उपरांत 05 वर्ष की अवधि तक चार्टर्ड एकाउटेन्ट से अंकेक्षित लेखे व बैलेंस शीट उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को उपलब्ध कराया जावेगा। बंद/बीमार उद्योग को प्रतिवर्ष उत्पादन, लाभ, राज्य शासन को देय करो का भुगतान, व रोजगार से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जावेगी।
8. उपरोक्त शर्तों की पूर्ति न करने पर पैकेज में दी गयी रियायत के समतुल्य राशि एवं छूट दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सहित राशि का भुगतान स्वीकृत अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की मांग पर किया जावेगा एवं स्टाम्प शुल्क से छूट के संबंध में दी गयी रियायत के समतुल्य राशि का भुगतान न करने पर भू राजस्व की बकाया वसूली के तहत वसूल की जा सकेगी ।

स्थान–

दिनांक–

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं रबर मुद्रा

नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

परिशिष्ट 2

(नियम 9.1)

(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला.....

छत्तीसगढ़

मेसर्स ..... पता..... द्वारा "छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति–2016"के अन्तर्गत .... उद्योग को बीमार/बंद उद्योग घोषित किये जाने बाबत् आवेदन मेसर्स ..... के द्वारा दिया गया है। यह आवेदन दिनांक ..... (अक्षरी)..... को पूर्ण रूपेण सभी आवश्यक दस्तावेजो के साथ प्राप्त हुआ है ।

प्रकरण का पंजीयन क्रमांक ..... है ।
(भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें)

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय की सील

प्रति,

मेसर्स.....

.....

.....

परिशिष्ट–3

उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़

उद्योग भवन, रिंग रोड नं0 1, तेलीबांधा, रायपुर
फोन नं. (0771) 2583652–54, फैक्स नं. 2583651
Email : dtic-directorate.cg@gov.in
(औद्योगिक नीति कक्ष)

या

कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....

क्रमांक ...../औनीति/201.../ रायपुर, दिनांक

// आदेश //

(छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक ..... दिनांक ..... के अधीन)

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–103/2015/11/(6) दिनांक ..... 2016 के तहत् अधिसूचित "छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नियम–2016" की कंडिका 9.6 (अ)/ 9.6(ब) के तहत् गठित जिला स्तरीय समिति/ राज्य स्तरीय समिति की ..... वीं बैठक दिनांक ..... में हुए निर्णय के उपरांत उद्योग के बंद/बीमार होने बाबत् निम्नानुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :–

अथवा

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–17/ 2016/11/(6) दिनांक 07.09.2016 के द्वारा् अधिसूचित "छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नियम–2016" की कंडिका 9.5 के अनुसार पात्र पाये जाने पर उद्योग के बंद/बीमार होने बाबत् निम्नानुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :–

1. बंद/बीमार औद्योगिक इकाई का नाम एवं पता –
2. बंद/बीमार औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल –
3. औद्योगिक इकाई के बंद/बीमार होने का माह /वर्ष –

उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग/
मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक